देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 04 /2023

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

दिनांकःजनवरी 30, 2023

विषयः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ में योजित "पत्र-याचिकाओं" (Letter Petitions) पर तथ्यपरक, प्रासंगिक एवं विधिक आख्या प्रेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदया/महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय इलाहावाद तथा खण्डपीठ लखनऊ में पत्र याचिकायें (Letter Petitions) काफी संख्या में प्रस्तुत हो रही हैं। सरकार की ओर से प्रतिवाद करने वाले विधि अधिकारियों द्वारा ऐसी पत्र याचिकाओं पर अल्प समय में आख्या उपलव्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, जिस कारण ऐसी आख्यायें सामान्यतया थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी एवं अन्य उप निरीक्षक द्वारा सीधे प्रेषित की जा रही हैं।

मा0 उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से प्रतिवाद करने वाले विधि अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पत्र याचिकाओं (Letter Petitions) पर प्रेषित आख्याओं (Comments) में इस प्रकार के तथ्यों का समावेश किया जा रहा है, जो न तो विधि सम्मत होते है और न ही प्रासंगिक। जनपदों से प्राप्त ऐसी असंगत आख्याओं के मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विपरीत निष्कर्ष निकाले जाने की प्रबल सम्भावना होती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से पत्र याचिका (Letter Petition) अत्यंत गम्भीर विपय होने पर ही मा0 न्यायालय द्वारा इन पर संज्ञान लिया जाता है। ऐसी दशा में प्रकरण से संवंधित तथ्यपरक एवं सुसंगत आख्या उपलब्ध न होने पर राज्य का पक्ष रखने वाले विधि अधिकारियों की स्थिति मा0 न्यायालय के समक्ष असहज होती है तथा विपरीत आदेश पारित होने की सम्भावना वनी रहती है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पत्र याचिकाओं (Letter Petitions) पर मा0 उच्च न्यायालय प्रेपित की जाने वाली आख्याओं को पूर्ण सतर्कता के साथ तथा प्रकरण से सम्वन्धित तथ्यपरक सूचनाओं का समावेश करते हुये तैयार किया जाए। पत्र याचिका में उल्लिखित तथ्यों का प्रतिवाद विधि सम्गत तर्कों के आधार पर किया जाए।

.....2

मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाने वाली आख्या को अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर से परीक्षणोपरान्त विधिवत अनुमोदित एवं अग्रसारित कराया जायेगा, सम्बन्धित अधिकारी अग्रसारण से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रेषित की जाने वाली आख्या में अप्रासंगिक, अयुक्तियुक्त तथा अविधिक तथ्यों/तर्कों का समावेश कदापि न हो।

भवदीय,

30/1/2023

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।